पत्रांक –वि०प्रा०(III) ब^{3}–14/2016–

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

प्रेषक,

अतुल सिन्हा,
निदेशक,

सेवा में,

प्राचार्य,
कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय, कटिहार/ अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर/ पूर्णिया अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णिया/ सहरसा अभियंत्रण महाविद्यालय, सहरसा **एवं**
विशेष कार्य पदाधिकारी, शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम

पटना, दिनांक ....

विषय : वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम बजट ''मुख्यशीर्ष –2203–तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष– 112– इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या– 43, उपशीर्ष –0101–स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम'' विपत्र कोड 43–2203001120101 के अधीन आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–2302, दिनांक 31.08.2018 सहपठित शुद्धि पत्र संख्या–2453, दिनांक 11.09.2018 के द्वारा विभागान्तर्गत 5 (पांच) अभियंत्रण महाविद्यालयों में छात्र/छात्राओं के लिए आवश्यक पुस्तक एवं जरनल्स के क्रय हेतु कुल रू० 48,00,000=00 (अड़तालीस लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2018–19 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन 13 01 कार्यालय विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से संबंधित संस्थानों को कुल रू० 48,00,000=00 (अड़तालीस लाख रूपये) मात्र का आवंटन निम्नवत प्रदान किया जाता है–

विषयशीर्ष	कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय, कटिहार	शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम	अभियंत्रण महाविद्यालय बख्तियारपुर	अभियंत्रण महाविद्यालय पूर्णिया	अभियंत्रण महाविद्यालय सहरसा	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7
13 01 कार्यालय व्यय	1000000	1000000	1000000	800000	1000000	**4800000**
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड़)	(च)

(क) दस लाख रूपये मात्र। (ख) दस लाख रूपये मात्र। (ग) दस लाख रूपये मात्र।
(घ) आठ लाख रूपये मात्र। (ड़) दस लाख रूपये मात्र। (च) अड़तालीस लाख रूपये मात्र।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या –2561/वि(2) दिनांक 17.04.1998, पत्रांक–354, दिनांक 28.03.2018 एवं पत्रांक–6903, दिनांक 13.09.2018 के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा–निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे विषयशीर्षो में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि का व्यय संभावित नहीं हो तो उसे यथाशीध्र प्रत्यार्पण कर विभाग को वापस लौटा दिया जाय।

4. विभिन्न विषय शीर्षो मे राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/मांग संख्या/कूट संख्या सहित विषयशीर्षो के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

5. स्वीकृत्यादेश / आवंटनादेश तथा विपत्रों में कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग के पूर्व प्रेषित पत्रांक 280 / वि. दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा–निर्देश का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

6. व्यय विवरणी टी.भी. नं. एवं तिथि सहित प्रत्येक माह के 7(सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना तथा अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रुप से उपलब्ध कराया जाय।

7. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/ –

(अतुल सिन्हा)
निदेशक

ज्ञापांक : वि०प्रा०(III) ब^3–14 / 2016– / पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना / महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आव यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –

निदेशक

ज्ञापांक : वि०प्रा०(III) ब^3–14 / 2016– / पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, कटिहार / सासाराम (रोहतास) / बाढ़ / पूर्णिया / सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –

निदेशक

ज्ञापांक : वि०प्रा०(III) ब^3–14 / 2016– 71 (अ०) / पटना, दिनांक : 3. 10. 2018

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / उप निदेशक (यो०) / आई०टी० मैनेजर (ई–मेल एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) / एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.10.2018
निदेशक

01/10/18